

कार्यालय, नगर पालिक निगम, उज्जैन

(जाहिर सूचना)

क्रमांक: सम्पत्तिकर/2020/ 787

उज्जैन, दिनांक: 30-9-2020

सर्व संबंधित को सूचित किया जाता है कि मध्य प्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 167 (1), 167 (3), 167 (5) (1) के प्रावधान अनुसार भवन/भूमि या किसी भूमि अथवा भवन के किसी भाग या अंश का विधिवत् स्वत्व अंतरित या वंशाकम अंतरित किये जाने या अचल सम्पत्ति में नवीन निर्माण/वृद्धि किया जाना/पुनः अधिवासित हो जाने पर संबंधितों को निर्धारित अवधि में सूचना देने का प्रावधान है परंतु संबंधितों द्वारा निर्धारित अवधि में सूचना नहीं दिये जाने के कारण उपरोक्त प्रावधानों का उल्लंघन होने से मा. प्रशासक संकल्प क्रमांक 03, दिनांक 25.09.2020 के द्वारा निम्नानुसार विलम्ब शुल्क स्वीकृत किया जाकर संकल्प पारित दिनांक अर्थात् दिनांक 25.09.2020 से विलम्ब शुल्क (पेनल्टी) प्रभावशील किया गया है :-

विवरण	स्वत्व अंतरित हेतु निर्धारित समयावधि	स्वीकृत विलंब शुल्क (पेनल्टी)
धारा 167 (1) के प्रावधान अनुसार	03 मास के भीतर	निःशुल्क
	06 माह के पूर्व	500/-
	12 माह के पूर्व	1000/-
	18 माह के पूर्व	1500/-
	24 माह के पूर्व	2000/-
	24 माह के उपरांत परंतु 36 माह के पूर्व	3000/-
	36 माह के उपरांत	5000/-
धारा 167 (3) के प्रावधान अनुसार	03 मास के भीतर	निःशुल्क
	06 माह के पूर्व	250/-
	12 माह के पूर्व	500/-
	18 माह के पूर्व	750/-
	24 माह के पूर्व	1000/-
	24 माह के उपरांत परंतु 36 माह के पूर्व	1500/-
	36 माह के उपरांत	2500/-
धारा 167 (5)(1) के प्रावधान अनुसार	15 दिवस के भीतर	निःशुल्क
	03 माह के पूर्व	200/-
	06 माह के पूर्व	400/-
	12 माह के पूर्व	700/-
	24 माह के पूर्व	1000/-
	24 माह के उपरांत परंतु 36 माह के पूर्व	1500/-
	36 माह के उपरांत	2500/-

नोट :- उपरोक्त उल्लेखित विलम्ब शुल्क (पेनल्टी) से समस्त बी.पी.एल. कार्डधारी मुक्त रहेंगे।

आयुक्त
नगर पालिक निगम, उज्जैन